

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,  
जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0**

पोस्टल अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 35/2025

CMS No. : 2025/70

—: वादी :-

बनाम

—: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण

लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार

तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।

1. कमला देवी पत्नी पारसमल जाति माली  
निवासी जैतारण।

2. नेमीचंद पुत्र गेपरराम जाति कुमावत  
निवासी निमाज तहसील जैतारण।

राजस्व वाद पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू :- 13.02.2025

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।

—: निर्णय :-

दिनांक :- 24.11.2025

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 732/2072 कुल रकबा 0.3966 हैक्टर सरहद मौजा- निमाज, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील-जैतारण में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **दुकानों का निर्माण कर** खुर्द बुर्द कर रहे हैं जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादी द्वारा टिनेन्सी एक्ट की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुख्यासमत दिनांक 20.12.2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से अकृषि (**दुकानों का निर्माण कर**) का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है।

वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि (क) वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित पद संख्या 1 वादपत्र से सरहद मौजा ग्राम निमाज प्रथम खसरा नंबर 732/2072 कुल रकबा 0.3966 हैक्टर किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.0132 हैक्टेयर में से प्रतिवादी को बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
जैतारण (ब्यावर)

इस पर वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को न्यायालय हाजा में बार बार आवाजें दिलाई गईं बावजूद सम्मन/तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज, उभयपक्षकारान बहस का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 732/2072 कुल रकबा 0.3966 किस्म चाही प्रथम सरहद मौजा- निमाज प्रथम तहसील-जैतारण में स्थित है, अर्थात् कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर दूकानों का निर्माण कर काम में लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर दूकानों का निर्माण कर बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है, तथा पटवारी, पटवार हल्का निमाज प्रथम की मौका फर्द दिनांक 20.12.2024 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर दूकानों का निर्माण कर के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर एवं अकृषि कार्य की श्रेणी में आता है, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम के खसरा नंबर 732/2072 कुल रकबा 0.3966 हैक्टर किस्म चाही प्रथम के संबंध में तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत दावा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के अकृषि के रूप में उपयोग लिये जा रहे रकबा 0.0132 हैक्टेयर के संबंध में भलीभाँति साबित होता है, प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के रकबा 0.0132 हैक्टेयर में बिना सक्षम अनुमति के दूकानों का निर्माण कर कृषि भिन्न व्यवसायिक गतिविधियां कारित कर कृषि भूमि पर अहितकर व अकृषि कार्य किया जाना साबित है।

अतः दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के कुल रकबा 0.3966 हैक्टेयर में से खातेदारान् प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में से 0.0132 हैक्टेयर भाग की अभिधृतियां निर्वापित करते हुए सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर मौके से भौतिक रूप से खातेदारान् की बेदखली करते हुए कब्जा राज प्राप्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

—: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील-जैतारण, खसरा नंबर 732/2072 कुल रकबा 0.3966 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, में से कुल

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
जैतारण (ब्यावर)

0.0132 हैक्टेयर भूमि जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार नक्शे में रेखांकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,  
(जिला-ब्यावर)



निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,  
(जिला-ब्यावर)

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)**

ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
ईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा , आर0ए0एस0

वादी:-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर राज0।		1. कमला देवी पत्नी पारसमल जाति माली निवासी जैतारण। 2. नेमीचंद पुत्र गेपरराम जाति कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण।


जस्व वादपत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा ,  
77 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 35/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से शीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम हसील-जैतारण, खसरा नंबर 732/2072 कुल रकबा 0.3966 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, में कुल 0.0132 हैक्टेयर भूमि जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार नक्शे में रेखांकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

ज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-..... से सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/11/2025 को जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जैतारण (ब्यावर)  
(जिला-ब्यावर)

रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील		
हनताना वकील		खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक		

मिजान:-

— Nil —

मिजान:-

— Nil —

टि:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया, नहीं दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
जैतारण (ब्यावर)